झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–06

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, **शनिवार**, दिनांकः– 27,फाल्गुन,1944 (श०) / 18 मार्च, 2023 (ई०) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
202-	अ०सू०–24 (उत्तर मुद्रित)	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	25-02-23
203-	अ०सू०–33	श्री बिरंची नारायण,	दोषियों पर समुचित कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	28-02-23
204-	अ०सू०–45	श्री प्रदीप यादव,	अवैध वसूली पर नियंत्रण करना।	ऊर्जा	06-03-23
205-	अ०सू०–38	श्री अनन्त कुमार ओझा,	विद्युत उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	03-03-23
*206-	अ०सू०–27	श्री प्रदीप यादव,	भूजल का दोहन कम करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	28-02-23
207-	अ०सू०–40	डॉ०लम्बोदर महतो,	चिन्हित कर कार्रवाई करना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	03-03-23
208-	अ०सू०–19	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	दोषियों पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
#209-	अ०सू०–46	श्री अमित कुमार मंडल,	कृषि टैक्स में रियायत देना।	वाणिज्यकर	06-03-23
**210-	अ०सू०–41	श्री विकास कुमार मुण्डा,	उपकरण की मरम्मति।	पेयजल एवं स्वच्छता	03-03-23
211-	अ०सू०–29	श्री मनीष जायसवाल,	मुआवजा देना।	ऊर्जा	28-02-23
212-	अ०सू०–32	श्री विनोद कुमार सिंह,	ब्याज माफ करना।	ऊर्जा	28-02-23
213-	अ०सू०–44	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता,	विद्युत विपत्र उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	06-03-23

कृ०पृ०उ०.....2/–

01	02	03	04	05	06
214-	अ0सू0-39	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	अनुदानित बिजली राशि का ब्योरा।	ऊर्जा	03-03-23
215-	अ0सू0-09	श्री बिरंची नारायण,	माफिया एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
216-	अ0सू0-37 (उत्तर मुद्रित)	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	सोलर टॉप की स्थापना।	ऊर्जा	28-02-23
217-	अ0सू0-43	श्री राज सिन्हा,	राजस्व के क्षति की जाँच।	खान एवं भूतत्व	06-03-23
218-	अ0सू0-47	श्री सरयू राय,	योजना कार्यान्वित कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	12-03-23
219-	अ0सू0-07	श्री उमाशंकर अकेला,	ट्रॉसफार्मर की आपूर्ति।	ऊर्जा	25-02-23
220-	अ0सू0-18	सुश्री अम्बा प्रसाद,	योजना लागु करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25-02-23
221-	अ0सू0-42	श्री राज सिन्हा,	सेवा शुल्क भुगतान कराना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	06-03-23
##222-	अ0सू0-20 (उत्तर मुद्रित)	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	अनुशंसा सुनिश्चित कराना।	खान एवं भूतत्व	25-02-23

नोटः-

* कम सं0-206-अ0सू0-27, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-1459,दिनांक- 06-03-2023 द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।

\# कम सं0-209-अ0सू0-46, वाणिज्यकर विभाग के पत्रांक-501,दिनांक-14-03-2023 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में स्थानान्तरित।

** कम सं0-210-अ0सू0-41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-1458,दिनांक 06-03-2023 द्वारा पंचायती राज विभाग में स्थानान्तरित।

\## कम सं0-222-अ0सू0-20, खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-301,दिनांक-28-02-2023 द्वारा उद्योग विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-18 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-14/2023-1215/वि0स0,राँची,दिनांकः-15/03/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/2023
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-14/2023-1215/वि0स0,राँची,दिनांकः-15/03/23

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/2023
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-14/2023-1215/वि0स0,राँची,दिनांकः-15/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/J.V.S, T.V शाखा/बेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/2023
गोपी/

विद्युतीकरण करना ।

उत्तर मुद्रित

202. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के वैसे अविद्युतीकरण ग्राम जहाँ घरों की संख्या-100 से अधिक है, को मिनी/माईक्रो ऑफ एवं ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर घरों में न्यूनतम ऊर्जा की आपूर्ति एवं ग्रामीण सड़कों एवं गलियों में स्ट्रीट लाईट के माध्यम से विद्युतीकरण करने की योजना के लिये वित्तीय वर्ष-2022-23 में 200 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि बजटीय उपबंध के आलोक में इस योजना का क्रियान्यव्यन नही कराया जा सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला के महागामा ठाकुरगंगटी तथा मेहरमा प्रखण्ड के सुदूरवर्ती गाँवों में मिनी/माईक्रो ऑफ ग्रिड स्थापित कर विद्युतीकरण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । झारखण्ड राज्य के वैसे अविद्युतिकृत ग्राम जहाँ परामपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतिकृत किया जाना संभव नही है, को चिन्हित कर सोलर मिनी/माईक्रो ग्रिड के माध्यम से विद्युतिकृत किये जाने की योजना है । उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम सभी घरों में न्यूनतम ऊर्जा की आपूर्ति एवं ग्रामीण सड़कों एवं गलियों में स्ट्रीट लाईट के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष-2022-23 में उक्त योजना के क्रियान्यव्यन 20 (बीस) करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन प्राप्त है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी के पत्रांक-1973/गो०, दिनांक 24 सितम्बर, 2022 के माध्यम से गोड्डा जिलान्तर्गत ब्ऑरीजोर प्रखण्ड एवं सुंदरपहाड़ी प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 98 अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची प्राप्त हुई है, जिसे वित्तीय वर्ष-2022-23 में किया जाना निर्धारित है ।

202

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–24 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के वैसे अविद्युतीकृत ग्राम जहाँ घरों की संख्या 100 से अधिक है, को मिनी/माईक्रो ऑफ एवं ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर घरों में न्यूनतम ऊर्जा की आपूर्ति एवं ग्रामीण सड़कों एवं गलियों में स्ट्रीट लाईट के माध्यम से विद्युतीकरण करने की योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 में 200 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के वैसे अविद्युतीकृत ग्राम जहाँ परामपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना संभव नहीं है, को चिन्हित कर सोलर मिनी/माईक्रो ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किये जाने की योजना है। उक्त योजना के अंतर्गत ग्राम सभी घरों में न्यूनतमक ऊर्जा की आपूर्ति एवं ग्रामीण सड़कों एवं गलियों में स्ट्रीट लाईट के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजना के क्रियान्यवयन 20 (बीस) करोड़ रूपये का बजटीय आवंटन प्राप्त है।
2. क्या यह बात सही है कि बजटीय उपबंध के आलोक में इस योजना का क्रियान्यवयन नहीं कराया जा सक है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला के महागामा, ठाकुरगंगटी तथा मेहरमा प्रखण्ड के सुदूरवर्ती गाँवों में मिनी/माईक्रो ऑफ ग्रिड स्थापित कर विद्युतीकरण करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी के पत्रांक–1973/गो०, दिनांक–24.09.2022 के माध्यम से गोड्डा जिलान्तर्गत ब्ऑरीजोर प्रखण्ड एवं सुंदरपहाड़ी प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 98 अवद्युतीकृत ग्रामों की सूची प्राप्त हुई है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया जाना निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 439 / दिनांक 01/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–33

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि विगत 3 वर्षों में राज्यभर में अवैध पत्थर खनन और इसके अवैध परिवहन से संबंधित हजारों मामले सामने आये है, जिसमें अवैध विस्फोटकों के इस्तेमाल का मामला भी सम्मिलित है;</td><td>आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु विभागीय संकल्प संख्या–563, दिनांक–05.10.2005 द्वारा जिला स्तर पर जिला खनन टास्क फोर्स तथा राज्य स्तर पर राज्य खनन टास्क फोर्स गठित है, जिनके द्वारा अवैध खनन के गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है। (छायाप्रति संलग्न)।
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–23(c) के तहत खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा राज्यान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules-2017 अधिसूचित है।
राज्यान्तर्गत विगत 03 वर्षो में पत्थर खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध की गयी कार्रवाई निम्नवत है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>दर्ज प्राथमिकी की संख्या</th><th>जब्त वाहनों की संख्या</th><th>दण्ड की राशि (लाख में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2020–21</td><td>274</td><td>1678</td><td>446.34</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021–22</td><td>265</td><td>1583</td><td>773.82</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022–23 (फरवरी, 23 तक)</td><td>565</td><td>1906</td><td>648.87</td></tr>
</table>
झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम–55 अन्तर्गत कार्य विभागों द्वारा बिना वैध चालान के उपयोग/आपूर्ति किये गये लघु खनिज के बावत् दण्ड स्वरूप वित्तीय वर्ष 2020–21 में 33422.74, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 24553.68 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह फरवरी 2023 तक 15390.72 लाख रूपये की वसूली की गयी है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि उक्त अवैध खनन और परिवहन से राज्य में केवल संथाल परगना में ही 1 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व क्षति हुआ है;</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है।
यथा कंडिका–01 के अनुरूप</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि उक्त पत्थरों का अवैध परिवहन केवल राज्य के अंदर तक ही सिमटा हुआ नहीं है, अपितु सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों में भी वाहनों, रेलवें और जलयानों के द्वारा भी अवैध पत्थरों के परिवहन के कई मामले सामने आए है;</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त अवैध खनन और परिवहन में सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए उनसे हुई उक्त करोड़ों रूपये की राजस्व क्षति की रिकवरी करवाने और इन मामलों में सम्मिलित सभी दोषी पदाधिकारियों एवं प्राधिकारों के संलिप्त सक्षम व्यक्तियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है।
कंडिका–01 के अनुरूप व्यक्तियों पर कार्रवाई की गयी है।
जिन मामलों में विभागीय पदाधिकारियों की संलिप्तता संज्ञान में आती है वैसे पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।
रेलवे द्वारा अवैध परिवहन की जाँच के संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के आदेश संख्या–325, दिनांक–01.03.2023 द्वारा SIT (Special Investigation Team) का गठन किया गया है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–40/2023 452 /एम०, राँची, दिनांक:– 17/03/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–711 दिनांक–28.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(904)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-45 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि समय–समय पर झारखण्ड बिजली वितरण निगम निगम निदेशालय को उपभोक्ताओं के द्वारा ऊर्जा मित्रों की गलत बिलिंग की शिकायत मिलती रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि गलत बिलिंग के शिकायत के आलोक में निदेशक, मनीष कुमार ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक-08.02.2023 को क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गलत बिलिंग करने वाले ऊर्जा मित्रों पर केस दर्ज करे;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि गलत बिजली बिल दिखाकर उपभोक्ताओं से कुछ अवैध राशि की वसूली कर पुनः ऊर्जा मित्र बिल को सही करते हैं और यह अवैध वसूली उपभोक्ताओं के शोषण का बड़ा माध्यम बन गया है;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस अवैध वसूली पर अविलम्ब नियंत्रण लगाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	ऊर्जा मित्र द्वारा बिलिंग के दौरान गलत डाटा Entry होने पर Software से गलत बिल मिलने की शिकायत विभाग को समय समय पर प्राप्त होती रहती है, जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपभोक्ता के बिल को सुधारा जाता है। किसी भी ऊर्जा मित्र के विरुद्ध अवैध वसूली की शिकायत संबंधित पदाधिकारी को प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा अविलम्ब ऊर्जा मित्र पर नियम संगत कार्रवाई की जाती है, ताकि बिलिंग कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पर रोक लगाई जा सके।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 583 / दिनांक 17/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

205

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–38 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के समय से लेकर अबतक ऊर्जा विभाग का बजट 700 करोड़ रूपये से बढ़कर 4,854 करोड़ रूपये होने के बावजूद इस दिशा में राज्य की हालात बदल नहीं पाई है और राज्य के सभी जिलों में 08 से 10 घंटे तक विद्युत संचरण और आपूर्ति व्यवस्था बाधित रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 घंटें एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 22 घंटे तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के समय उपभोक्ताओं की संख्या–06 लाख थी, जो बढ़कर 48 लाख हो गई, जिसके विरूद्ध 650 मेगावाट से बढ़कर 2500 मेगावाट विद्युत की माँग हो गई है और राज्य अन्तर्गत विद्युत उत्पादन में गिरावट आई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य गठन के समय उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 06 लाख थी, जो वर्त्तमान में बढ़कर लगभग 49 लाख हो गई, वर्त्तमान (वित्तीय वर्ष 2022–23) में राज्य को लगभग 3100 मेगावाट बिजली का आवंटन है जो निम्नवत है :– NTPC : 700 MW NHPC : 69 MW PTC : 153 MW DVC : 608 MW TVNL : 420 MW APNRL : 189 MW Inland Power : 63 MW Grasim Ltd : 01 MW Sikidri : 130 MW Wind Power : 300 MW Solar Power : 476 MW कुल (लगभग) : 3109 MW
3. क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 53 ग्रिड है, परन्तु सभी जिलों में विद्युत खपत के अनुपात में विद्युत आपूर्ति न हो पाने के कारण विद्युत संचरण व आपूर्ति व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 घंटें एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 22 घंटे तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्युत खपत व उपभोक्ताओं के अनुपात 24 घंटे निर्बाध विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	24 घंटे निर्बाध विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु झा०बि०वि०नि०लि० ने वर्त्तमान उपलब्धता के अलावा निम्नलिखित स्त्रोत से विद्युत ऊर्जा हेतु एकरारनामा किया है: N. Karanpura (NTPC) : 324 MW Barh I (NTPC) : 52 MW Wind Power : 200 MW Solar Power : 250 MW PUVNL, Patratu : 3400 MW कुल (लगभग) : 4226 MW

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 587 / दिनांक 17/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(206)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार राँची, धनबाद, रामगढ़ एवं अन्य कई स्थानों के भू–जल की स्थिति चिंतनीय है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड़ का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भू–जल का कम दोहन एवं रिचार्ज के बारे में विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	राज्य भू–गर्भ जल अधिनियम बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके लागू होने के उपरान्त राज्य में भू–जल दोहन को प्रभावी रूप से Regulate किया जा सकेगा। भू–जल का दोहन कम हो इसको ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा डीप बोरवेल अधारित सिंचाई योजना का निर्माण नहीं किया जाता है। विभागीय पत्रांक–58 दिनांक–07.03.2022 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर झारखण्ड राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों के सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक भवनों पर 178 अदद रेन वाटर हार्भेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–10–अ०सू०–09/2023...1510... / राँची, दिनांक–...15/03/23

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–710 दिनांक–28.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(207)

डॉ लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में बिना निबंधन के कई अखबार एवं पत्र–पत्रिकाएं धड़ल्ले से नियम विरूद्ध प्रकाशित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक अखबार एवं पत्र–पत्रिकाओं का निबंधन भारत के समाचारपत्रों के पंजीयन का कार्यालय (Registrar of Newspapers for India) भारत सरकार द्वारा किया जाता है। Registrar of Newspapers for India (RNI) का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि समाचारपत्र एवं पत्र–पत्रिकाएं प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित हो रहे हैं।
2	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में कई ईलेक्ट्रॉनिक टी०वी० चैनल/यू–ट्यूब चैनल बिना निबंधन का धड़ल्ले से नियम विरूद्ध तरीके से प्रसारित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रसारण विंग (Broadcasting Wing) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और समय–समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से प्राईवेट सैटेलाईट चैनलों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के नेटवर्क की सामग्री को नियंत्रित करता है। मंत्रालय के द्वारा Information Technology Act,2000 तथा Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के आलोक में यू–ट्यूब चैनल के प्रसारण पर नियंत्रण किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अखबार, टी०वी० चैनल/यू–ट्यूब चैनल, पत्र–पत्रिकाएं तथा ईलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया जो बिना निबंधन के चल रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हां, तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था० (वि०स०)–06–02/2023–सू०ज०स०145 राँची, दिनांक 16/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या– 917, दिनांक 03.03.2023 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

208

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में फैक्ट्री संचालित करने के लिए झारखण्ड खनिज निगम के द्वारा विभिन्न कोलियरियों से कोयला आपूर्ति की जाती है;	उत्तर स्वीकारात्मक। नई कोयला वितरण नीति 2007 के तहत वैसे लघु एवं मध्यम वर्ग के औद्योगिक इकाई जो सीधे कोल कम्पनियों से कोयला खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कोयला उपलब्ध करायी जाती है। जिसके लिए सरकार द्वारा निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि हार्डकोक फैक्ट्री के नाम पर आवंटित कोयले को संचालकों द्वारा अन्यत्र मंडियों (बिहार, उत्तरप्रदेश) इत्यादि राज्यों में कालाबजारी कर बेच दिया जा रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। नई कोयला वितरण नीति 2007 के तहत संबंधित खान एवं भूतत्व विभाग के संकल्प संख्या–395, दिनांक–13.05.2008 द्वारा जिला स्तरीय समिति प्रत्येक जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित है (संलग्न), जो आपूर्त्ति किये गये कोयले की उपयोगिता की जाँच एवं समीक्षा कर अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उपायुक्त–सह–जिला स्तरीय समिति से किसी भी अनियमितता की सूचना पर निगम द्वारा संबंधित इकाई का कोयला आवंटन बन्द कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोयले के कालाबजारी एवं तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तदैव

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ0सू0)–17 / 2023 443 /एम०, राँची, दिनांकः– 17/03/23

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–531 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(209)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2023 को पूछा जाने वाला प्रश्न सं0–अ0सू0–46 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्नकर्ता– श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0	उत्तरदात्ता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम (संवर्धन और सुविधा) प्रभावी होने के बाद आम उपभोग की वस्तुओं पर 2% कृषि टैक्स अतिरिक्त लगाने का प्रावधान किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2022 की धारा 66(1) में गैर नष्ट होने वाले कृषि उपज पर यथा मूल्य 2% की दर से अधिक नहीं हो और नष्ट होने वाले कृषि उपज एवं पशुधन पर यथामुल्य 1% की दर अधिक नहीं हो शुल्क अधिरोपन करेगी और बाजार शुल्क वसूली करेगी, प्रावधानित है। उक्त के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बाजार शुल्क वसूली हेतु अधिसूचना निर्गत नहीं की गई है। सम्प्रति कोई बाजार शुल्क नहीं वसूला जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने के वजह से झारखण्ड में महँगाई दर में वृद्धि होगी;	उत्तर कण्डिका (1) में समाहित है।
3	क्या यह बात सही है कि वाणिज्यकर विभाग अपने लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने में 2020–21 से अब तक वर्ष 2022–23 में 40% कर मात्र संग्रह किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वाणिज्य–कर विभाग द्वारा चालू एवं विगत वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक की वसूली की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है :– वर्ष लक्ष्य प्राप्ति प्राप्ति का प्रतिशत 2020–21 17379.51 16147.59 93% 2021–22 18422.93 19750.75 107% 2022–23 18500.00 19201.74 104% (माह फरवरी, 2023 तक)
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में महँगाई दर को कम करने के लिए खण्ड–1 में वर्णित 2% कृषि टैक्स में रियायत देने का निर्णय लेना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उत्तर कण्डिका (1) में समाहित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(वि0स0–अ0सू0)–04/2023 720 कृ0, राँची, दिनांक– 16/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1051 दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

vidhan sabha 6

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(वि0स0–अ0सू0)–04/2023 ₹20 कृ0, राँची, दिनांक– 16/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07/कृ0वि0प0(वि0स0–अ0सू0)–04/2023 ₹20 कृ0, राँची, दिनांक– 16/03/2023

प्रतिलिपिः– राज्य–कर अपर आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, रांची को उनके पत्रांक–501 दिनांक–14.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

सरकार के अवर सचिव।

vidhan sabha 7

(210)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–41 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग द्वारा झारखण्ड में कई नए चापाकल एवं जलमीनार के निर्माण किये गये हैं;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि उन 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग से बने चापाकल एवं जलमीनार की मरम्मत पेयजल विभाग नहीं करती, परिणामतः कई खराब पड़े हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित समस्या की समाधान हेतु कोई निर्देश जारी कर खराब पड़े उपकरणों को बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 559 दिनांक 13.03.2023 एवं 610 दिनांक 17.03.2023 द्वारा सभी जिलों को पंचायतों द्वारा क्रियान्वित लघु पेयजलापूर्ति योजना की मरम्मति एवं रख–रखाव की कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–29/2023—618—/, राँची, दिनांकः–17.03.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 918 दिनांक 03.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–29/2023—618—/, राँची, दिनांकः–17.03.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

17.3.23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–29/2023—618—/, राँची, दिनांकः–17.03.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.3.23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–29/2023—618—/, राँची, दिनांकः–17.03.2023

प्रतिलिपिः– श्री राजीव रंजन कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को पत्रांक 1458 दिनांक 06.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

17.3.23

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/10.03.3023

E:/Anil Office work/Assembly related/Assembly questin Answer.doc

(211)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-29 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में एल०टी० और एच०टी० कनेक्शन की तारें लगभग 50–60 वर्ष पुरानी हैं जिसके कारण उक्त क्षेत्र में हल्की बारिश या आँधी-पानी आने पर उक्त तारें टूटकर गिरती है जिसके कारण सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं का बिजली उपकरण प्रभावित होने के साथ-साथ उक्त क्षेत्र में बिजली बाधित होती है;	हजारीबाग शहर में स्थित विद्युत शक्ति उपकेन्द्र सिन्दुर को छोड़कर बाकी सभी शक्ति उपकेन्द्र लोहसिंगना- 2009, मिशन-2010, हीराबाग-2019 एवं इससे संबंधित 11 के०भी० लाईन बने हैं। साथ ही साथ हजारीबाग जिला में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग सभी 11 के०भी० तार को बदल दिया गया है एवं 08 कि०मी० 11 के०भी० Over Head तार को U/G Cable से बदला गया है साथ ही साथ 3501.97 कि०मी० LT Over Head तार को LT AB Cable से बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जहाँ भी तार पुराने होते हैं O&M/ADP मद में बदलने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित क्षेत्र में तार की लचर व्यवस्था के कारण उक्त क्षेत्र में विगत 08 माह में 07 लोगों की मौतें करेंट लगने से होने के साथ-साथ पूर्व में भी लगभग 08–10 लोगों की मौते हो चुकी है और सरकार अपनी लापरवाही में पीड़ित परिवारों को 05 लाख रुपये निर्धारित आर्थिक मुआवजा राशि देकर अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाती है परंतु जिस परिवार में ऐसी घटना घटित होती है उनके लिए उक्त राशि मृतक के जीवन की तुलना में बहुत कम प्रतीत होती है;	प्राकृतिक आपदा एवं मानवीय भूलवश घटित होती है। HT Over Head line को U/G Cable एवं LT Over Head line का AB Cable बदलने के उपरान्त दुर्घटना में कमी आई है। विद्युत स्पर्शाघात से हुई दुर्घटना का निगम के नियमानुसार प्रावधानित 5 लाख रूपये का भुगतान उनके आश्रितों को दिया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-02 में वर्णित कारणों से हुई मौतों पर आर्थिक मुआवजा राशि के साथ-साथ पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ खण्ड-01 में वर्णित तारों को बदलने या अंडर ग्राउंड करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निगम के नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। हजारीबाग जिले के एल०टी० एवं एच०टी० संरचना का RDSS योजना के तहत आधुनिकीकरण का कार्यान्वयन हेतु निविदा शीर्ष निगम द्वारा आमंत्रित कर ली गई है जो प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 550 / दिनांक 14/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200/प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

D:\WIP\Vihan Sabha (Question & Answer)\Budget 2023\Answer.docx 32

(212)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–32 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित रूप से विद्युत बिल नहीं मिलने और नियमित वसूली नहीं हो पाने से बकाया औसतन 15 हजार रुपये से ज्यादा हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा नियमानुसार विद्युत् विपत्र निर्गत किया जाता है, ससमय भुगतान नहीं होने के स्थिति में बिल पर DPS लगता है, जिसके कारण उपभोक्ताओं का बकाया ज्यादा हो जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में घेरलु उपभोक्ताओं पर बकाया नहीं चुका पाने से 10 हजार से ज्यादा FIR मुकदमा दर्ज हुए है;	अस्वीकारात्मक। विद्युत् मद में बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उपभोक्ताओं का विद्युत् संबंध विच्छेदन करना एक सतत प्रक्रिया है। ऊर्जा चोरी की रोकथाम हेतु छापेमारी के दौरान वैसे व्यक्ति, जो अवैध रूप से विद्युत् का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, उनपर ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है।
3. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में विधवा, विकलांग, बुजुर्ग परिवारों को जहाँ कोई कामगार सदस्य नहीं है, विद्युत शुल्क चुकाना मुश्किल हो रहा है;	जो उपभोक्ता विद्युत् विपत्र का भुगतान एक मुश्त नहीं कर पाते है, उनके द्वारा विभाग को आवेदन देने पर नियमानुसार किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा, विद्युत् उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल में विलम्ब शुल्क अधिभार राशि की माफी हेतु समय समय पर "एक मुश्त समझौता योजना" लागू किया जाता है। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं द्वारा उक्त सुविधा का लाभ उठाया जा सके।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित परिवारों का पूर्ण शुल्क माफ करते हुए सामान्य उपभोक्ताओं हेतु ब्याज माफी पर विचार करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–3 में उत्तरित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 572 / दिनांक 16/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

213

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-44 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन् एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड-निरसा, एग्यारकुंड एवं चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्रों में विद्युत मीटर के गड़बड़ियों के कारण विद्युत विपत्र की ज्यादा राशि की वसूली तथा प्रति माह विपत्र नहीं मिलने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डों तथा चिकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के घरों व संस्थानों में लगे विद्युत मीटर वर्षो पुराने हैं, जिस कारण गड़बड़ियाँ होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखण्ड के घरों व संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता के विद्युत मीटर लगाने तथा प्रतिमाह विद्युत विपत्र उपलबध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विद्युत आपूर्ति अंचल, धनबाद अन्तर्गत उपरोक्त प्रखण्ड एवं चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में चिन्हित कर पुराने मीटरों को बदलने का कार्य प्रगति पर है। जिस उपभोक्ता के विद्युत विपत्र में त्रुटि पायी जाती है उसे जाँचोपरांत सुधार कर विपत्र का भुगतान लिया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 566 / दिनांक 16/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(214)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-39 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की राशि में राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष–2022–23 में विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु एक हजार आठ सौ करोड़ (1800) करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है की झारखंड के गरीबी एवं किसानों के बिजली बिल के भार को कम करने के लिये प्रत्येक लक्षित परिवार के लिये 100 यूनिट बिजली निःशुल्क आपूर्ति के लिये वित्तीय वर्ष–2022–23 में 4854 करोड़ 94 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि सब्सिडी के लिए आवंटित राशि 1800 (एक हजार आठ सौ करोड़) रूपये और प्रत्येक लक्षित परिवार के लिये 100 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिये आवंटित राशि 4854.94 करोड़ (चार हजार आठ सौ चौवन करोड़) रूपये से कितनी राशि अबतक व्यय या सामायोजित की जा चुकी है, साथ ही कितनी राशि खर्च किया जाना बाकी है और उक्त रकम के अबतक व्यय या सामायोजित न होने का क्या कारण है?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु सब्सिडी मद में कुल राशि रू० 1690 करोड़ तथा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने एवं नयी सब्सिडी की व्यवस्था हेतु कुल रू० 200 करोड़ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को विमुक्त किया गया है। उक्त मदों में राशि का समायोजन क्रमिक रूप से विपत्र के साथ किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 588 / दिनांक 17/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(215)

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में चला आ रहा बालू का अवैध खनन् अवैध भंडारण और अवैध परिवहन बदस्तूर जारी है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु विभागीय संकल्प संख्या–563, दिनांक–05.10.2005 द्वारा जिला स्तर पर जिला खनन टास्क फोर्स तथा राज्य स्तर पर राज्य खनन टास्क फोर्स गठित है, जिनके द्वारा अवैध खनन के गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है।
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–23(c) के तहत खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा राज्यान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules-2017 अधिसूचित है।
राज्यान्तर्गत विगत 03 वर्षो में बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध की गयी कार्रवाई निम्नवत है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>दर्ज प्राथमिकी की संख्या</th><th>जब्त वाहनों की संख्या</th><th>दण्ड की राशि (लाख में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2021–22</td><td>309</td><td>1082</td><td>248.62</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021–22 (फरवरी, 2022 तक)</td><td>704</td><td>1325</td><td>268.55</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022–23 (परिशिष्ट 'क' के अनुसार)</td><td>760</td><td>2574</td><td>387.56</td></tr>
</table>
• झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम–55 अन्तर्गत कार्य विभागों द्वारा बिना वैध चालान के उपयोग/आपूर्ति किये गये लघु खनिज के बावत् दण्ड स्वरूप वित्तीय वर्ष 2020–21 में 33422.74, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 24553.68 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह फरवरी 2023 तक 15390.72 लाख रूपये की वसूली की गयी है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि विगत 3 वर्षों से बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष अगस्त 2017 में राज्य सरकार द्वारा नई बालू खनन नीति–The Jharkhand State Sand Mining, 2017 अधिसूचित की गई जिसके आलोक में बालू खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर नदियों के ऑर्डर के आधार पर वर्गीकृत Category-II बालू घाटों का संचालन सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा किया जाना है।
इसी बीच विभागीय अधिसूचना संख्या–2089/एम०, दिनांक–30.09.2022 द्वारा The Jharkhand State Sand Mining, 2017 में आवश्यक संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के आलोक में बालू घाटों के संचालन के निर्मित MoEF, GoI द्वारा निर्गत Enforcement & Monitoring Guidelines for sand Mining, 2020 के अनुपालनार्थ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विभिन्न जिलों में बालू घाटों के DSR (District Survey Report) का अनुमोदन SEIAA झारखण्ड द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त चिन्हित Category-II बालू घाटों में मे० जे०एस०एम०डी०सी० द्वारा Empanelled MDO का चयन करते हुए बालू घाटों का संचालन प्रारम्भ किये जाने की कार्रवाई की जाएगी।
वर्त्तमान में मे० जे०एस०एम०डी०सी० द्वारा Category-II के 21 बालू घाटों का संचालन किया जा रहा है।
राज्यान्तर्गत कुल 253 Category-I के बालू घाटों का संचालन संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती है।
जे०एस०एम०डी०सी० द्वारा Category-A में 87, Category-B में 37 तथा Category-C में 06 कुल–130 MDO को Empanelled किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में तत्काल बालू घाटों की बंदोबस्ती कर इसकी कॉमर्शियली बिक्री JSMDC के माध्यम से कराने तथा बालू माफिया एवं इनके संरक्षक पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>–यथा कंडिका–01 एवं 02</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ०सू०)–22/2023 453 /एम०, राँची, दिनांकः– 17/03/23

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–451 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

उत्तर मुद्रित

सोलर टॉप की स्थापना ।

216. श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष-2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के मध्यम सौर ऊर्जा के माध्यम से झारखण्ड में 4 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए सोलर पार्क, फलोटिंग सोलर पार्क, कैनॉल टॉप की शुरूआत कि जानी थी;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि अबतक कितने सोलर पार्क, फलोटिंग सोलर पार्क, कैनॉल टॉप आदि की स्थापना की गयी है;

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) सोलर पार्क के स्थापना हेतु सभी जिलों के उपायुक्त से सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् सोलर पार्क निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जा सकता है ।

* फलोटिंग सोलर पार्क हेतु चाण्डिल डैम तथा तेनुघाट डैम को लगभग एक हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के अधिष्ठापन हेतु चिन्हित किया गया है तथा अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

* सिकिदरी कैनाल टॉप सोलर परियोजन हेतु दो मेगावाट क्षमता के सोलर प्लॉट के स्थापना हेतु एजेंसी का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त सोलर कैनाल टॉप परियोजना हेतु अन्य स्थालों का निरीक्षण कर चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है ।

(216)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–37 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 से वित्तीय वर्ष 2026–27 के मध्यम सौर ऊर्जा के माध्यम से झारखण्ड में 4 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए सोलर पार्क, फलोटिंग सोलर पार्क, कैनॉल टॉप की शुरूआत कि जानी थी?	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि अबतक कितने सोलर पार्क, फलोटिंग सोलर पार्क, कैनॉल टॉप आदि की स्थापना की गयी है?	• सोलर पार्क के स्थापना हेतु सभी जिलों के उपायुक्त से सरकारी भुमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। भुमि उपलब्ध होने के पश्चात् सोलर पार्क निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जा सकता है। • फ्लोटिंग सोलर पार्क हेतु चाण्डिल डैम तथा तेनुघाट डैम को लगभग एक हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के अधिष्ठापन हेतु चिन्हित किया गया है तथा अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। • सिकिदरी कैनाल टॉप सोलर परियोजना हेतु दो मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के स्थापना हेतु एजेंसी का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सोलर कैनाल टॉप परियोजना हेतु अन्य स्थलों का निरीक्षण कर चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 485 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(217)

श्री राज सिन्हा, स० वि० स० द्वारा दिनांक–18.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–43 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छतरपुर, नौडीहा प्रखण्ड सहित अन्य हिस्सों में पहाड़ियों और वन क्षेत्र में पत्थर खनन के लिए पिछले तीन वर्षों (2019–2022) की अवधि में जिला स्तर से स्वीकृति प्रदान की गई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्णित अवधि में पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर एवं नौडीहा बाजार अंचल अंर्तगत गैर वन भूमि के क्रमशः 04 एवं 13 खनन पट्टों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में पत्थर खनन के लिए जितने आवेदकों को स्वीकृति मिली उन्होंने तथा अवैध तरीके से अन्य लोगों ने वन क्षेत्र में आने वाली पलामू के बुढीवीर पहाड़, चोटहासा पहाड़, करसो पहाड़ी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में खनन कार्य किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन पर धर–पकड़/जप्ती एवं अवैध खननकर्त्ताओं पर वन वाद दायर करते हुए अवैध खनन के विरूद्ध यथा संभव कार्रवाई की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि पत्थर खनन के लिए जिन पहाड़ों और क्षेत्रों में स्वीकृति प्रदान की गई वहाँ खनन के बाद बेहिसाब पेड़ काटे गए और इसकी जगह पर नये पेड़ नहीं लगाए गए है;	अस्वीकारात्मक। DFO प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त गैर वन क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर खनिज के लीज के बावत वृक्ष पातन की सूचना वन प्रमण्डल, पलामू में नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिले में पत्थर खनन के लिए पत्थर खदान आवंटन और संबंधित विभागों की लापरवाही के चले हुए राजस्व के नुकसान के मामले की जांच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिले के गैर वन भूमि में वित्तीय वर्ष 2019–22 में कुल 24 पत्थर खनन पट्टों की स्वीकृति प्रदान की गई है। पलामू जिलान्तर्गत गैर वन भूमि में स्वीकृत पत्थर खनन पट्टों से वित्तीय वर्षवार प्राप्त स्वामिस्व की विवरणी निम्नवत् हैः–

वर्ष	पत्थर खनिज से प्राप्त राजस्व (लाख रूपये में)
2019–20	3210.64
2020–21	4628.19
2021–22	4795.05
2022–23 (माह फरवरी 2023 तक)	7770.89

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ0सू0)–48/2023 **460** /एम०, राँची, दिनांकः–**17.03.2023**

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1052 दिनांक–06.03.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(218)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 18.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 47 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पाण्डु ग्रामीण पेयजलापूर्ति परियोजना के निर्माण के लिए विभागीय क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, राँची प्रक्षेत्र के पत्रांक– 540, दिनांक– 25.07.2018 के आलोक में एकरारनामा हुआ था, परन्तु यह योजना अभीतक पूरा नहीं हो सका है;	वस्तुस्थिति यह है कि पाण्डु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का एकरारनामा दिनांक– 07.08.2018 को किया गया है तथा अबतक संवेदक के द्वारा निम्नांकित अवयवों का निर्माण कार्य कराया गया। 1. Intake well (RCC Work) - 90% 2. Pump House Plaster and Door fixed - 90% 3. Gangway Deep Slab - 90% 4. WTP RCC Work - 65% 5. ESR- 1 (275KL) Inlet Valves Supplied - 86% संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु अनेको बार लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध करने के बावजुद संवेदक के द्वारा कार्य करने में कोई रूचि नहीं लिये जाने के कारण एकरारनामा को रदद् करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि पाण्डु ग्रामीण पेयजलापूर्ति परियोजना का निर्माण 1984 में हुआ था, परन्तु यह योजना सफल नहीं हो सका;	वर्ष 1984 में Infiltration well & Pump House का निर्माण कराकर योजना से जलापूर्ति किया गया। पुनः 2010 में जलमीनार एवं CI Pipeline का निर्माण कार्य किया गया, किन्तु बरसात के समय नदी में तेज जल प्रवाह से Infiltration well tilt हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित हो गई।
3.	क्या यह बात सही है कि इस परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करते समय भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं किया जाना इसकी विफलता का मुख्य कारण है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** पाण्डु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का DPR- भूगर्भीय जलश्रोत का सर्वेक्षण एवं स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त ही तैयार किया गया, तत्पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त निविदा के माध्यम से संवेदक द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पाण्डु ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत 6540 अदद् आबादी को आच्छादित किया जाना है। वर्त्तमान में 79 अदद् चालू नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस परियोजना के पूरा नहीं होने के कारणों की जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों को दंडित करने तथा भूगर्भीय सर्वेक्षण कराकर नये सिरे से पाण्डु पेयजलापूर्ति योजना कार्यान्वित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–55/2022– 1788 राँची, दिनांक :– 13/3/23

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1106, दिनांक– 12.03.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(219)

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में T.R.W. की व्यवस्था नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत खूँटी, लातेहार एवं चतरा जिला को छोड़कर शेष सभी जिलों में T.R.W. कार्यरत है। झारखण्ड में कुल 28 T.R.W. है जिसमें 22 कार्यरत है एवं 6 में निविदा की प्रक्रिया जारी है।
क्या यह बात सही है कि यदि जो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो सरकार के द्वारा लाने और भेजने की व्यवस्था नहीं की जाती है;	अस्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि यदि जो जॉब के लोग जला ट्रांसफार्मर T.R.W. में ले जाते है तो उतारने तथा लोडिंग का भी काम गाँव के लोगों से लिया जाता है;	अस्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि सभी जिलों में नये ट्रांसफार्मर की काफी कमी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ट्रांसफार्मरों के जल जाने एवं खराब होने की प्रक्रिया कई कारणों पर निर्भर करता है। ऐसी समस्या वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक होता है, उस वक्त ट्रांसफार्मरों की कमी लगभग सभी जिलों में होती है। समस्याओं के निदान हेतु निगम स्तर से प्रत्येक वर्ष नये ट्रांसफार्मरों की क्रय की जाती है एवं आवश्यकतानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में भी इसे सम्मिलित किया जाता है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यवस्था में सुधार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	(क) झारखण्ड के खूँटी एवं लातेहार जिलों में T.R.W. स्थापित करने हेतु निगम के द्वारा निविदा की गई है, जिसे लगभग एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा, तत्पश्चात् संबंधित एजेंसी के द्वारा T.R.W. का निर्माण किया जाएगा। (ख) झारखण्ड के चतरा जिले में T.R.W. का निर्माण जिला मद के Deposit Head में प्रस्तावित है जिसका Estimate बन चुका है एवं निधि उपलब्ध होने के उपरान्त वर्ष 2023-24 में T.R.W का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। T.R.W. के निर्माण के पश्चात् जिला में ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने की स्थिति में उसे मरम्मत कर जले या खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 546 / दिनांक 14/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2023

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

220

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 18.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 18 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, राज्य सरकार के द्वारा वित्त वित्तीय वर्ष में 5 चापाकल प्रत्येक पंचायतों में पेयजल की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से अधिष्ठापन कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि, हर घर नल योजना के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के गाँव के प्रत्येक ग्रामीणों को घर में नल का पानी उपलब्ध कराया जाना है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक पंचायतों में 5 चापाकल लगाने की योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन (JJM) योजना के तहत झारखण्ड के सभी 61,18,767 ग्रामीण घरों को गृह–संयोजन के माध्यम से पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिस क्रम में अबतक 19,89,821 घरों में जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है और शेष आबादी को जलापूर्ति उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–52/2022– 1781 राँची, दिनांक :– 17/3/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 530, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–52/2022– 1781 राँची, दिनांक :– 17/3/23

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(291)

श्री राज सिन्हा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–42 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रांची सहित अन्य जिलों में लोक कलाकारों, रंगमंच विद्या से जुड़े कलाकारों, संगठनों से वर्ष 2019 में चुनाव प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों के उद्देश्य से सेवाएं ली गई थी और इसके एवज में उन्हें भुगतान किया जाना था?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 की अवधि में रांची जिलें में विभाग के स्तर से जिला संगठनों में कलाकारों की सेवा ली गई उनसे किसी को भी निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने कठिन आर्थिक चुनौती बनी हुई है?	अस्वीकारात्मक मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु राँची जिले के 46 कलादलों की सेवा ली गई थी, जिनसे प्राप्त विपत्र के आधार पर कुल राशि 11,82,000/–(ग्यारह लाख बेरासी हजार) रूपये मात्र का भुगतान कर दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2019 की अवधि में ली गई सेवाओं के आधार पर चयनित कलाकारों के भुगतान के संबंध में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हां तो कब, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था० (वि०स०)–06–03/2023–सू०ज०स०144 राँची, दिनांक 16/03/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–1053, दिनांक 06.03.2023 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुशंसा सुनिश्चित कराना ।

उत्तर सहित

##222. श्री जय प्रकाश भाई पटेल--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सी०सी०एल इत्यादि प्रतिष्ठानों द्वारा सी०एस०आर० मद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आवागमन, पेयजल इत्यादि सुविधा उपलब्ध करायी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि सी०एस०आर० मद की राशि का व्यय स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मजदूर नेताओं एवं पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में किये जाने का प्रावधान है;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थानीय प्रबंधन द्वारा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नाम पर मुखिया, सरपंच एवं कुछ मजदूर नेताओं की बैठक में खानापूर्ति कर मनमाने ढंग से राशि का व्यय कर दिया जाता है तथा स्थानीय सांसद एवं विधायकों की अनुशंसा नहीं ली जाती है जो सम्पूर्ण क्षेत्र में जन-समस्याओं से अवगत होते है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी०एस०आर० मद की राशि से चयन की जाने वाली योजनाओं में सांसद, विधायकों की अनुशंसा सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । कंपनी एक्ट 2013 के सेक्सन 135(1) के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कंपनियों में एक CSR (Corporate Social Responsibility) कमिटि के गठित करने का प्रावधान है । इस समिति में तीन निदेशक होते है जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होते है ।

CSR मद की उपलब्धता एवं CSR नियम अन्तर्गत अनुमान्य होने पर माननीय सांसद/ विधायक/जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(3) अस्वीकारात्मक । CSR नीति, वार्षिक सीएसआर बजट, DPE (Department of Public Enterprises) एवं MCA (Ministery of Corporate Affairs) द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के आधार पर CSR मद से प्रभावित क्षेत्रों में CSR गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है । विगत वर्षों में स्थानीय माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर सीसीएल द्वारा अपने कमांड क्षेत्रों में कई CSR पहल की गयी है । CSR गतिविधियों के चयन में किसी विशिष्ट पदाधिकारी/पद-धारी के अनुशंसा की बाध्यता नहीं है ।

(4) उपरोक्त कंडिका के अनुरूप ।

222

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि सी0सी0एल0 इत्यादि प्रतिष्ठानों द्वारा सी0एस0आर0 मद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आवागमन, पेयजल इत्यादि सुविधा उपलब्ध करायी जाती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि सी0एस0आर0 मद की राशि का व्यय स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मजदूर नेताओं एवं पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में किये जाने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्सन 135 (1) के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कंपनियों में एक CSR (Corporate Social Responsibility) कमिटि के गठित करने का प्रावधान है। इस समिति में तीन निदेशक होते हैं जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। CSR मद की उपलब्धता एवं CSR नियम अंतर्गत अनुमान्य होने पर माननीय सांसद/विधायक/जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि स्थानीय प्रबंधन द्वारा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाम पर मुखिया, सरपंच एवं कुछ मजदूर नेताओं की बैठक में खानापूर्ति कर मनमाने ढंग से राशि का व्यय कर दिया जाता है तथा स्थानीय सांसद एवं विधायकों की अनुशंसा नहीं ली जाती है जो सम्पूर्ण क्षेत्र में जन–समस्याओं से अवगत होते है;	अस्वीकारात्मक। CSR नीति, वार्षिक सीएसआर बजट, DPE (Department of Public Enterprises) एवं MCA (Ministery of Corporate Affairs) द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के आधार पर CSR मद से प्रभावित क्षेत्रों में CSR गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। विगत वर्षों में स्थानीय माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर सीसीएल द्वारा अपने कमांड क्षेत्रों में कई CSR पहल की गयी है। CSR गतिविधियों के चयन में किसी विशिष्ट पदाधिकारी/पद–धारी के अनुशंसा की बाध्यता नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी0एस0आर0 मद की राशि से चयन की जाने वाली योजनाओं में सांसद, विधायकों की अनुशंसा सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका के अनुरुप।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–14/23 299 /राँची, दिनांकः– 13/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–532 दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव